

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 29/2023

श्री किरण डेविड पुत्री लोरेंस डेविड निवासी मदार अजमेर

— प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी अजमेर  
उपस्थित:-

— अप्रार्थी

1. श्री किरण डेविड — प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. श्री अब्दुल सादीक, प्रवर्तन अधिकारी


प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा हेतु वाहन रिलिज बाबत

—आदेश—

दिनांक 10.05.2023

प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा वाहन रिलिज हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 24.04.2023 को वाहन संख्या R.J.01 CD 9611 दिनांक 24.04.2023 को गैस रिफिलिंग करते समय जब्त कर लिया गया था जो कि मेरी अज्ञानतावश गलती हो गई थी अतः वाहन को रिलिज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि मदार में थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा गैस सिलेण्डर संबंधित कार्यवाही की गई है, क्योंकि समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक एवं रसद अधिकारी हडताल पर होने के कारण संबंधित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु जाना पड़ेगा। इस संबंध में गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के तहत उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ 4/149 घरोदा योजना, सेक्टर 03 जे.पी. नगर, मदार अजमेर जाँच हेतु पहुँची। मौके पर अलवर गेट थाना, अजमेर श्री श्याम सिंह कांस्टेबल व श्री जयपाल (ए.एस.आई) उपस्थित थे, एवं जांच कार्य करवाया गया। वक्त मौके पर नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ उपस्थित पाए गए, जिसके द्वारा जांच करवाने पर पाया गया कि एक कमरा जिसका लोहे का गेट खुलवाने पर एक सिलेण्डर रिफिलिंग रिफिलिंग मशीन में लगा हुआ पाया तथा 06 सिलेण्डर (घरेलू) कोने में तथा पीछे की तरफ एक सिलेण्डर (घरेलू) कुल 09 घरेलू सिलेण्डर (01 एच.पी. तथा भारत कम्पनी के) पीछे तिरपाल का कमरा जिसमें 17 भरे हुए एवं 03 खाली (कमर्शियल) गैस सिलेण्डर पाये गये तथा पास में स्थित बाथरूम में 04 खाली गैस सिलेण्डर रखे हुए पाए गए। वक्त जाँच मौके पर प्रथम दृष्टया देखने पर बड़ी संख्या में अलग-अलग कम्पनियों के गैस सिलेण्डर भण्डारण करना, सिलेण्डरों की टूटी सीलें बिखरी पड़ी होना पाँच रिफिलिंग मशीने पाए जाने से अवैध रिफिलिंग एवं अवैध गैस व्यवसाय की पुष्टि हुई। गैस सिलेण्डरों के साथ गैस रिफिलिंग की 05 मशीने, 02 इलेक्ट्रिक वजन कांटे टूटी कैप सील पाई गई। वक्त जांच श्री नवरतन गौतम से पूछताछ पर बताया कि उक्त मकान स्वयं का है तथा गैस एजेंसियों से भरे हुए सिलेण्डर लेकर अवैध रूप से गाडी में रिफिलिंग करने का काम करता है। ये भरे हुए सिलेण्डर गैस एजेंसियों द्वारा ब्लेक में बिना रसीद बिल या वाउचर के नकद लिये जाते हैं। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में श्री नवरतन गौतम के पास कोई बिल वाउचर, उपभोक्ता डायरी नहीं पाई गई एवं ना ही गैस सिलेण्डर भण्डारण व्यवसाय का कोई अनुमति/अनुज्ञा पत्र होना पाया गया। वक्त जांच श्री नवरतन गौतम के मकान के


  
(अंश दीप)  
जिला कलक्टर, अजमेर

बाहर मारुति इको वाहन संख्या आर.जे.01. सी.डी. 9611 खड़ी पाई गई जो घरेलू एल.पी. जी. सिलेण्डरों एवं व्यवसायिक सिलेण्डरो से रिफिलिंग में काम आती है। मकान पर गैस सिलेण्डरो का गैस रिफिलिंग एवं अवैध भण्डारण तथा अवैध व्यवसाय करना पाया गया । अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 4, 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 मय 361.7 किग्रा एव.एल.पी.जी. पांच गैस रिफिलिंग मशीने, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे एवं टूटी कैप एवं वाहन मारुति इको आर.जे.01. सी.डी 9611 की अवहेलना होने के कारण 13 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं 20 व्यवसायिक सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । वाहन मारुति इको कार R.J.01 CD 9611 को जब्त कर पुलिस थाना अववर गेट अजमेर को सुपुर्द्ध किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत मारुति इको कार आर.जे.1 सी डी. 9611 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

जवाब में प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या R.J.01 CD 9611 को सुपुर्द्धगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 24.04.2023 को मदार में थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा गैस सिलेण्डर संबंधित कार्यवाही की गई है। गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के तहत उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक नवरतन गौतम पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र नाथ 4 / 149 घरोदा योजना, सेक्टर 03 जे.पी. नगर, मदार अजमेर जाँच हेतु पहुँची । वक्त मौके पर पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था । जांच मौके पर एक मारुति R.J.01 CD 9611 खड़ी पाई वक्त जांच मौके पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी जब्तशुद्धा R.J.01 CD 9611 को पुलिस थाना अलवर गेट को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द्धगी में दी गई। इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) क्लॉज 4(1)(क)(ग)(घ),6,7 (1)(क) (ख) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने मारुति कार को उसे सुपुर्द्धगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुद्धा उपरोक्त R.J.01 CD 9611 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिंग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 5,000/-अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपुर्द्ध कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.05.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया ।

  
(अंश दीप)  
जिला कलक्टर,  
अजमेर